-प्रेस नोट-

दिनांक 26.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर पुलिस मुठभेड़ में लूट के मुकदमें में वांछित 01 घायल सहित 02 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे .315 बोर, 04 जिंदा/02 खोखा कारतूस .315 बोर, लूटे गये 2,80,000/-रूपये व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। *इसी क्रम में दिनांक 25/26.02.2026 की रात्रि को थाना फतेहपुर पुलिस टीम गंगाली मोड़ पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चैकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि गांव रजापुर में पशु व्यापारी से लूटपाट करने वाले अभियुक्त ग्राम गंगाली की तरफ से आ रहे है तभी ग्राम गंगाली की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति सवार आते दिखायी दिये जिन्हे टोर्च की रोशनी से रुकने का इशारा किया गया तो दोनों व्यक्ति मोटरसाईकिल को मोडकर भागने लगे, पुलिस पार्टी द्वारा पीछा गया तो मोटरसाईकिल सवार व्यक्तियों ने पुलिस को अपना पीछा करते देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलावस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल अभियुक्त की पहचान शुभम पुत्र धनप्रकाश निवासी ग्राम लडवा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर के रुप में हुई। घायल अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु जिला अस्पताल सहारनपुर में भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिंदा / 01 खोखा कारतूस .315 बोर व लूटे गये 1,50,000/- रुपये नगद बरामद किये तथा 01 अन्य बदमाश को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान अंकित पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम चिम्माबांस थाना बेहट जनपद सहारनपुर के रूप में हुयी। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस .315 बोर, लूटे गये 1,30,000/- रुपये नगद व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल बरामद की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 87/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणो के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।*

पूछताछ का विवरणः- *गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों आपस मे दोस्त है हम दोनो ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर दो मोटर साईकिलो पर कल दिनाक 24/25.02.2026 की रात्रि में एक व्यक्ति से रजापुर वाले रास्ते पर मोटर साईकिल आगे लगाकर 05 लाख रुपये लूट लिये थे।*

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. शुभम पुत्र धनप्रकाश निवासी ग्राम लडवा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

2. अंकित पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम चिम्माबांस थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *02 तमंचे .315 बोर*
- *04 जिंदा/02 खोखा कारतूस .315 बोर*
- *2,80,000/-रूपये नगद (लूट के)*
- *01 मोटरसाईकिल (घटना में प्रयुक्त)*

अभियुक्त शुभम का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 85/26 धारा 85/26 धारा 310(2)/317(3)/3(5)/61(2) बीएनएस
2. मु0अ0सं0 87/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम

अभियुक्त अंकित का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 85/26 धारा 85/26 धारा 310(2)/317(3)/3(5)/61(2) बीएनएस
2. मु0अ0सं0 87/26 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 शस्त्र अधिनियम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष श्री विनय शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. व0उ0नि0 श्री भूपेन्द्र शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री मशकूर अली थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
4. है0का0 921 रोहित राणा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. है0का0 231 रोहित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
6. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

दिनांक 26.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 25000/-रूपये के इनामी वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध असलाह व 02 कारतूस 12 बोर बरामद-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचंद सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 26.02.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय के मु0अ0स0 42/2026 धारा 351(3)/312 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0स0 209/2023 धारा 379 भादवि मे वांछित चल रहे 25000/- रूपये के अभियुक्त **मौहम्मद अब्दुल कादिर पुत्र मौहम्मद हासिम निवासी मौहल्ला चकरौता रोड हील वाली गली मौहल्ला छीपियान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को आज दिनांक 26.02.2026 बेहट अडडे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से मु0अ0स0 42/2026 धारा 351(3)/312 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट मे प्रयुक्त एक तमंचा 12 बोर मय 02 अदद कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. मौहम्मद अब्दुल कादिर पुत्र मौहम्मद हासिम निवासी मौहल्ला चकरौता रोड हील वाली गली मौहल्ला छीपियान थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण:-

- 01 तमंचा 12 बोर
- 02 कारतूस 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह चौहान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री नितेश चौधरी थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
4. है0का0 738 विनोद कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
5. का0 143 अरूण कुमार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 26-02-2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा ट्यूबवैल से केबिल व बैटरी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई 01 बैटरी बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 12.02.2026 को वादी श्री गजेंद्र सिंह नौसरान पुत्र स्वर्गीय यशपाल सिंह निवासी ग्राम-नागल थाना-नागल जिला- सहारनपुर के ट्यूबवेल पर बने कमरे से बिजली का केबल व बिजली उपकरण तथा दो बैटरी मारूति कार वाली एंव एक झटका मशीन तथा एक आँटोमेटिक चार्जर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध मे थाना नागल पर मु0अ0सं0 51/26 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया था। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर घटना का शीघ्र अनावरण करते हुए अभियुक्तगणो की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी नांगल श्री राजकुमार चौहान के कुशल नेतृत्व मे नागल पुलिस टीम द्वारा दिनाँक 25.02.26 को गस्त, तलाश वाँछित से ग्राम भढेडी कोली-नासिरपुर डिगौली मार्ग के पास खाली खेत से **अभियुक्त अब्दुल रहीम पुत्र अताउल्ला निवासी ग्राम बढेडी कोली थाना नागल जनपद सहारनपुर** को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से चोरी की गई एक बैटरी रंग नीला को बरामद किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त के द्वारा बताया गया कि खेतो मे बने ट्यूबैलो मे चोरी करता हूँ और चोरी किया गये माल को मौका मिलने पर बाहर ले जाकर बेच देता हूँ और जो पैसा मिलता है, उससे अपने शौक पूरे करता हूँ । दिनाँक 11/12.02.26 की रात्रि मे मैने नागल-फतेहपुर मार्ग से एक खेत मे बने कमरे से केबिल, 02 बैटरी आदि सामान चोरी किया था । एक बैटरी मैने बेंच दी थी । आज मै उस एक बैटरी को बैंचने के लिए जा रहा था

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अब्दुल रहीम पुत्र अताउल्ला निवासी ग्राम बढेडी कोली थाना नागल जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 बैटरी रंग नीला

अभि0 अब्दुल रहीम का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 51/26 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना नागल सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 24/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना नागल सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-

1. थाना प्रभारी श्री राजकुमार चौहान थाना नांगल सहारनपुर
2. उ0नि0 नवीन जयन्त थाना नागल सहारनपुर
3. है0का0 914 रणजीत सिंह थाना नागल सहारनपुर
4. है0का0 1195 मशकूर चौधरी थाना नागल सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 26.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा साइबर फ्रॉड मे ठगी गयी 18000/-रुपये की धनराशि पीडिता के खाते में करायी गयी वापस

दिनांक 11.02.2026 को पीडिता कु0 पारूल पुत्री श्री विरेन्द्र सिंघल निवासी मौहल्ला मिश्राण खालापार थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर द्वारा आनलाइन साइबर पोर्टल 1930 पर अपने साथ **44400**/-रूपये की आनलाईन कस्टम विभाग से बताकर पैसे ट्रांसफर कराने के सम्बन्ध में साइबर पोर्टल पर शिकायत सं० 33102260032802 दर्ज करायी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि पीडितों के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/ नोडल अधिकारी (साइबर अपराध) एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नेमचन्द सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा दिनांक 26.02.2026 को साइबर शिकायत संख्या 33102260032802 में कार्यवाही करते हुए साइबर फ्रॉड में गयी राशि मे कुल 18000/- रुपये की धनराशि पीडिता के खाते में वापस करायी। पीडित द्वारा धनराशि खाते में वापस पाकर कोतवाली नगर पुलिस का आभार प्रकट किया।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर टीमः-

1. निरीक्षक श्री मुमताज खान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
2. व0उ0नि0 मानसिंह थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
3. कम्प्यूटर आपरेटर सन्नी सोम थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर
4. म0का0 1951 मोना थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर

दिनांक **26-02-2026**

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-04 जनपद सहारनपुर द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें में अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 23.11.2021 को वादी मेनपाल पुत्र मदन निवासी ताहरपुर थाना झिंझाना जनपद शामली की सूचना पर अभियुक्त 1.प्रदीप पुत्र भूरा उर्फ ऋषिपाल 2. सुनीता पत्नी भूरा उर्फ ऋषिपाल 3. भूरा उर्फ ऋषिपाल पुत्र तेलूराम निवासीगण मौ0 सराय कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री रचना से दहेज की अतिरिक्त मांग करते हुए गला दबाकर उसकी हत्या कर देना जिसके संबंध में मु0अ0सं0 367/21 धारा 498 ए/304 बी/ 34 भादवि व वैकल्पिक धारा 302/34 भादवि व 3/4 दहेज अधि0 थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-451/2022 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-04 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-04 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 26.02.2026 को अभियुक्त 1.प्रदीप पुत्र भूरा उर्फ ऋषिपाल निवासी मौ0 सराय कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर को मु0 अ0 सं0 367/21 धारा 498 ए/304 बी भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में दिनांक 26/02/26 को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- हजार रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा शेष धारा में दोषमुक्त किया गया तथा अभियुक्तगण सुनीता व भूरा उर्फ ऋषिपाल को उपरोक्त सभी धाराओं में दोषमुक्त किया गया।

शासकीय अधिवक्ता-(ए0डी0जी0सी0) श्री शिव सिंह
विवेचक- क्षेत्राधिकारी श्री अरविन्द पुण्डीर
पैरोकार-है0का0 996 विक्रान्त थाना रामपुर मनिहारन सहारनपुर।